☎/Fax- + 05966-220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांकः– 1049 / 10सी.

दिनांकः 30 /6 /2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के 309ए के किमी0 170 से 206.60 (बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या – **FP/UK/ROAD/151120/2022**

संदर्भ :– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0 दिनांक 03.05.2025 एवं आपका पत्रांक 6401/k–1(2) दिनांक 28.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 915/10सी0 दिनांक 27.05.2025 द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित कर दिया गया था। तत्पश्चात् आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में निकलने वाले MUCK Disposal के लिए डम्पिंग जोन हेतु सिविल भूमि की उपलब्धता/अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा से प्राप्त कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में डम्पिंग जोन हेतु सिविल भूमि की उपलब्धता /अनुपलब्धता हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 955/10सी दिनांक 30.05.2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया था। अपर जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के पत्रांक 397/वि0भू0अ0अनु0 (विविध पत्रा0)/2023–24 दिनांक 30.06.2025 द्वारा डम्पिंग जोन हेतु सिविल भूमि अनुपलब्ध होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त परियोजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है, मार्ग का यह प्रभाग किमी0 170 से 206.60 तक वन भूमि प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने की कृपा करें, ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

सलग्न :– उपरोक्तानुसार।

30/6/25

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत।

पत्रांकः–   /   दिनांकः   /   /2025

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत।

कार्यालय, सक्षम अधिकारी (CALA) विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 897 / वि0भू0अ0अनु0 (विविध पत्रा0) / 2023–24 दिनांक 30 जून 2025

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

विषय– जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय मार्ग संख्या 309 के कि0मी0 169.00 कनगाड़छीना से 206.00 (बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/151120/2022

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 955 / 10C दिनांक 30 / 05 / 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत रा0मा0 संख्या 309 ए के कि0मी0 169.00 से 206.00 (कनगाड़छीना से अल्मोड़ा) तक मार्ग के दो लेन में चौड़ीकरण हेतु हिल कटिंग में निकलने वाले मलवे के निस्तारण हेतु मार्ग के समीप डम्पिंग जोन हेतु उपयुक्त सिविल भूमि उपलब्ध होने पर वांछित भूमि उपलब्ध करवाने अथवा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता / अनुपलब्धता पर प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त प्रकरण पर उपजिलाधिकारी सदर से जांच करवायी गयी। उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्यानुसार रा0मा0 संख्या 309 ए के कि0मी0 169.00 से 206.00 (कनगाड़छीना से अल्मोड़ा) तक मार्ग के दो लेन में चौड़ीकरण हेतु हिल कटिंग में निकलने वाले मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन हेतु उपयुक्त सिविल भूमि उपलब्ध नहीं है। उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या एवं इस आशय का प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्तानुसार सूचना प्रेषित।

संलग्न– यथोक्त।

(सी0एस0मर्तोलिया)
अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा /
सक्षम प्राधिकारी, (CALA) अल्मोड़ा।